आहरण एवं सवितरण अधिकारी क्या करे व क्या न करे

क्या करे:

वे सुनिश्चित करे कि-

- 1. भुगतान देयकों के साथ सभी सामान्य निधि अनुसूचिया पूर्ण रूप से सलग्न है सभी अभिदताओं के जिनके भुगतान देयक आहरित किये गए है सामान्य भविष्य निधि पास बुक का
- ्र रख रखाव किया गया है
- 3. सभी प्रविष्टिया भली भाति पूर्ण कि गयी है
- 4. सामान्य भविष्य निधि पास बुक के आहरण कलम में प्रविष्टि पूर्ण रूप से की गयी है व सत्यापित है
- 5. पास बुक की वार्षिक लेखा बंदी की गयी है व प्रविष्टियाँ सत्यापित है
- 6. सामान्य भविष्य निधि पास बुक के आहरण कलम में प्रविष्टि पूर्ण रूप से की गयी है व सत्यापित है

 अभिदताओं को छः माह के अन्तराल पर जनवरी एवं जुलाई में सामान्य निधि पास बुक को स्तायापि
- /. त करने की अनुमति दी गयी है
- 8. सामान्य भविष्य निधि पास ब्क ९०% भ्गतान प्राधिकृत करने के पूर्व मिलन हेत् प्रेषित की गयी है
- 9. अंतिम भुगतान प्रकरणों को इस कार्यालय को सासमय प्रेषित किया गया है इस कार्यालय द्वारा ९०% भुगतान एवं अंतिम भुगतान प्राधिकृत प्रकरण का भुगतान अभिदताओं को
- .U. समय से भ्गतान किया गया है
- 11. सामान्य भविष्य निधि नियमावली एवं शासन आदेशो का पूर्णतया अन्पालन किया गया है

क्या न करे:

- सामान्य भविष्य निधि अनुसूचियो मे अन्य कटोतियो या सामान्य भविष्य निधि चतुर्थ 1. श्रेणी के अभिदान शामिल नहीं है
- 2. विहित सीमा से अधिक आहरण के अतिरक्त कटिंग, मिटाना या अपरिलेखन न करे